निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 7/2025
दायरा दिनांकः–22.01.2025
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. इमरतबाई आयु 85वर्ष पत्नि स्व० रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
2. ओमवतीबाई आयु 50वर्ष पुत्री रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
3. गुड्डीबाई आयु 60वर्ष पुत्री रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
4. धीरपसिंह आयु 45वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
5. फूलचंद आयु 58वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
6. सुखराम आयु 49वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
7. संतोष आयु 66 वर्ष पुत्री रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
8. सीताराम आयु 46वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
9. हरिप्रसाद आयु 42वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति चांडाल निवासी बापचा
10. भानू कुमारी आयु 63वर्ष पत्नि स्व० मुन्नालाल जाति चांडाल निवासी बापचा
11. महेन्द्र आयु 40वर्ष पुत्र स्व० मुन्नालाल जाति चांडाल निवासी बापचा
12. विजयबाबू 35वर्ष पुत्र स्व० मुन्नालाल जाति चांडाल निवासी बापचा
13. विनोद आयु 32वर्ष स्व० मुन्नालाल जाति चांडाल निवासी बापचा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 320 की खसरा संख्या 590/2 की रकबा 0.3035 हैक्टयर, खसरा संख्या 701/2 की रकबा 0.2782 हैक्टयर, खसरा संख्या 702/2 की रकबा 0.0632 हैक्टयर, खसरा संख्या 704/2 की रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 4 की रकबा 0.7208 भूमि वाके माल बापचा तहसील छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(20) मे स्थित है जिसमे प्रार्थीगण कम 1 ता 9 का हिस्सा 1/11–1/11 स्थित है एव प्रार्थीगण 10 ता 13 का हिस्सा 1/44–1/44 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदीं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अपने अपने हिस्से पर गत् कई वर्षों काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता/दादा रघुनाथ के वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि एलोटमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीगण के पिता/दादा की जाति चांडाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे चिंडार दर्ज कर दी। जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति चांडाल है। प्रार्थीगण के वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे चिंडार के स्थान पर दुरुस्तीकरण किया जाकर जाति चांडाल दर्ज किया जावे। जो अत्यन्त आवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रार्थी कम 5 फूलचंद के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अलावा वाके माल बापचा तहसील छबड़ा मे भूमि खाता संख्या 213 की खसरा संख्या 459/16 की रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी फूलचंद की जाति चांडाल दर्ज है एव प्रार्थी संख्या 11 महेन्द्र व प्रार्थी संख्या 4 धीरपसिंह ने चांडाल जाति के जाति प्रमाण पत्र बना रखे है जिसमे भी प्रार्थीगण की जाति चांडाल दर्ज है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते मे प्रार्थीगण की जाति चिंडार गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड मे जाति चांडाल दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैराकार सरकार की से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 213 नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा तहसील छबडा सम्वत् 2057–60 खाता संख्या 386 फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र महेन्द्र कुमार जाति प्रमाण पत्र धीरप सिंह बी.ए की अंक तालिका आधार कार्ड महेन्द्र कुमार परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण के पिता/दादा रघुनाथ की जाति चांडाल के स्थान पर चिंडार दर्ज कर दी जबकि प्रार्थीगण की वास्तवकि जाति चांडाल है प्रार्थीगण की जाति चिंडार के स्थान पर चांडाल दुरूस्त किया जावें। प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात में जाति चिंडार दर्ज है प्रार्थी क्रम 5 के खाते में अन्य भूमि खाता संख्या 213 में प्रार्थी क्रम 5 फुलचन्द की जाति चांडाल दर्ज है प्रार्थी महेन्द्र व धीरप सिंह के जाति प्रमाण पत्र चांडाल जाति के बने हुए है प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जाति चिंडार के स्थान पर चांडाल दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि राजस्व ग्राम बापचा के वर्तमान खाता संख्या 320 के खसरा नम्बर 590/2 रकबा 0.3035 है0 खसरा नम्बर 701/2 रकबा 0.2782 है0 खसरा नम्बर 702/2 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 704/2 रकबा 0.0759 है0 भूमि प्रार्थीगण 1 ता 13 के नाम दर्ज जमाबन्दी है जिसमें प्रार्थीया की जाति चिण्डार है मुताबिक वन्दोवस्त जमाबन्दी 2012 से 2031 में प्रार्थीया के पिता/दादा कलवा पुत्र घांसी जाति चिण्डार दर्ज है जो आदिनांक तक जाति चिण्डार ही चली आ रही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 320 में प्रार्थीगण की जाति चिण्डार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 213 में प्रार्थी क्रम 5 फुलचन्द की जाति चांडाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2057–60 में सीताराम पुत्र रघुनाथ जाति चण्डाल दर्ज है जाति प्रमाण पत्र दिनांक 7.8.2002 में धीरप सिंह पुत्र रघुनाथ जाति चाण्डाल दर्ज है अंक तालिका BA पार्ट III में महेन्द्र की जाति चांडाल दर्ज है आधारक कार्ड महेन्द्र कुमार में जाति चांडाल अंकित है। यह प्रार्थना पत्र मूलतः जाति चिण्डार के स्थान पर चांडाल दर्ज करने का है यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जा सकता है जिसमें अशोभनीय नामों में सुधार किया जाना अनुमत किया गया है परन्तु जाति बदलने/परिर्वतन करना धारा 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत नही आता है। इसलिए प्रार्थी का चिण्डार के स्थान पर चांडाल जाति दर्ज करने का अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत अनज्ञेय नही होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा